

72 198

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

23/6/21

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। अधिवक्ता अपीलांत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांत कि बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांत कि बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण कि इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों से प्रथमदृष्टया संतुष्ट होकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून गियाद को उभयपक्षों की सुनवाई तक लम्बित रखा जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक तक विवादग्रस्त भूमि कि गौंके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। अपीलांत रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड एडी नोटिस 5 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। जो पेश होने पर बाद जाँच जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली तलब करे। पत्रावली दिनांक 16/7/21 को पेश हो।

223

रफिनो
4788-98
09.07.21

June 21
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

16/7/21

अभि. अपीलान्त / रेस्पों. उपस्थित रेस्पों. का-पू. की कोर्ट से पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल काधि-शी. एम.न. कोगानी ने बकालतनामा पेश दिनांक 23.7.21 को पेश हो। किपा।

23/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। काधि-उत्पन्नपत्र उपाक्षिप्त जर्नी। अपीलार्थियों ने अपने कार्यालय के साथ उपाक्षिप्त होकर जायता पत्र बाबत बिड्रा विधे नामे का पेश कर निवेदन किया कि सब अपीलार्थियों कंपनी इस अपील को जारी चलाना नहीं चाहती है एवम् अपील बिड्रा करना चाहती है। इतः अपील बिड्रा फरमाते जावे।

यू.पी. अपीलार्थियों कंपनी इस अपील को सब जारी चलाना नहीं चाहती है एवम् अपील बिड्रा करना चाहती है। इतः अपील अपीलार्थियों बिड्रा विधे जाने से इतिहास की जाती है। तदनुसार पत्रावली फेरल कुमार होकर वास तलमील दाखिल इस्तर हो।

June 21
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Handwritten signature
23-7-21

